राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 15/2019 रे0वाद

अनवान

खीम सिंह पिता नाथुसिंह उम्र 47 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम डुंगागुडा (पीपलीनगर) तहसील भीम जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. देवी सिंह पिता केसर सिंह।
2. श्रीमति केसी देवी पत्नि भूरसिंह रावत। (फौत)
   समस्त जाति रावत निवासीयान् ग्राम ओड़ा थोरिया (पीपलीनगर) तहसील भीम जिला राजसमंद।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील भीम, जिला राजसमंद

..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हरदेव सिंह
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः— 23/2/2026

उक्त धारा से संबंधित वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ।

वाद पत्र

प्रकरण वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हम वादीगण के स्वयं के कब्जे काश्त की निम्नलिखित पुश्तैनी गे0मु0 बाडा भूमि मोजा जमाबंदी ग्राम थोरिया पटवार हल्का पीपलीनगर तहसील भीम जिला राजसमंद में आयी हुई है। विवरण आराजियात खेत खसरा नम्बर 111 रकबा 0.06 है0 किस्म बंझड़ कुल खसरा 01 कुल क्षेत्रफल बीघा 06 बिस्वा है। उपरोक्त भूमि के पड़ोस निम्न प्रकार है पूर्व में बिलानाम भूमि पश्चिम आम रास्ता व सड़क उत्तर केसर सिंह का मकान दक्षिण में लालसिंह का मकान आया हुआ है। उपरोक्त आराजियात भूमि में गै0मु0वाड़ा वादी का पुश्तैनी होकर वादी के पूर्वज से ही वादी उसका उपयोग उपभोग करते कराता आ रहा है एवं उक्त बाड़े में वादी का एक मकान बना हुआ भी है उसका उपयोग भी हाल में वादी ही कर रहा है। वादी ने उस बाड़े की नकल निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादीगण के पिता के नाम से उक्त भूमि चल रही है एवं प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी के नामे आ गयी है जबकि वादी के पिता एवं वादी के नाम से होनी चाहिए वह हिस्सा 06 बिस्वा वादी के नाम से नही है एवं वादी के पिता ने उस पर कभी भी सरकार में रहन नही रखा नही किसी प्रकार से उस पर लोन ही लिया गया है यह गलती से रहन लग गया है अगर प्रतिवादी एक एवं

1

Scanned with OKEN Scanner

लोन ही लिया गया है यह गलती से रहन लग गया है अगर प्रतिवादी एक एवं दो द्वारा रहन ब कर लोन लिया गया है तो इसकि जानकारी हमें नही है अगर प्रतिवादीगण द्वारा लोन लिया या है तो उनसे वसूल किया जावें। वादी एवं वादी के पूर्व उसने पिता का इस भूमि खसरा पर ान्तिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करते है वादी एवं उसके ता ही गत 45 वर्षो से यानी वादी के जन्म से ही इस बाड़े पर काश्त उपयोग उपभोग करते आ हे है। इस प्रकार इस बाड़ा खसरा पर वादीगण का एडवर्स पजेशन है इससे भी वादीगण का ाड़ा खसरा का खातेदार काश्तकार हो गया है प्रतिवादी का अब इस आधार पर कोई हक धिकार नही रहा है। राजस्व अभिलेख में अभी भी प्रतिवादीगण के नाम से उक्त बाड़ा दर्ज है। ौर राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी का नाम गलती से दर्ज हो जाने से अभी तक दर्ज है। चूंकि क्त बाडे खसरा का वादीगण को खातेदारी के अधिकार एडवर्स पजेशन के आधार पर प्राप्त हो या है। अतः इस आशय की घोषणा की जाय कि उक्त खेत खसरा के खातेदारी के अधिकार ाप्त है और वादीगण ही खेत खसरा के खातेदार काश्तकार है। वादी ने राजस्व अभिलेख में ादीगण का नाम दर्ज कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा मगर प्रतिवादी हमेशा टालमटोली काही जवाब देते है। और प्रतिवादी ने आज दिन तक राजस्व अभिलेख में वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज नही कराया है। अतः वादीगण के पास यह वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रह गया है। अतः वाद प्रस्तुत है।

लिखित कथन

वादी द्वारा उक्त वाद पत्र इस आधार पर न्यायालय में पेश किया गया। वादी द्वारा मूल वाद पत्र के साथ वाद में वर्णित विक्रय विलेख प्रस्तुत किया। वाद पत्र की जांच कर वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किए गए। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की तामिल हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 02 के बारे मे तामिल कुनिन्दा द्वारा टिप्पणी की गई कि उनकी मृत्यु हो गयी है अतः वादी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 केसी देवी की मृत्यु होने से उसके एकमात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 01 ही है जो देवी सिंह है अतः कायम मुकाम पेश किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः पत्रावली वास्ते जवाब में दिनांक 05.08.2024 को मुकमल की गई।

जवाब / साक्ष्यवादी

प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया था बावजूद समय देने पर भी जवाब पेश नही किया एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित पाए गए जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में किसी प्रकार के साक्ष्य अथवा शपथ पत्र भी पेश नही किए। नही किए जाने पर पत्रावली वास्ते एकपक्षीय बहस मुकर्रर की गई।

बहस

वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के बिन्दु पुनः दोहराए जाकर प्रतिवादी को वादग्रस्त आमाजी के संबंध में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करने हेतु निवेदन किया।

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र, पत्रावली में मौजूद दस्तावेज एवं बहस अनुसार प्रस्तुत वाद पर मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा RRT 2025(1) Banne singh vs Devilal & ors. में यह निर्णित किया है कि – **वादी राजस्व अभिलेख में**

Scanned with OKEN Scanner

ातेदार दर्ज नही है जिससे वह स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का भी अधिकारी नही ।

चूंकि वादी खीम सिंह पिता नाथूसिंह वादग्रस्त आराजी (खसरा संख्या 111) में रिकॉर्डेड ातेदार नही है अतः वादी स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का भी अधिकारी नही हैं। परोक्त निर्णय के आधार पर यह वादपत्र खारिज किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से म की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/2/26 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भीम (राजसमन्द)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned with OKEN Scanner